

श्रीमान् सचिव

[नामतः श्री उमेश चन्द्र जोशी, प्रथम अपील अधिकारी, RTI]

परिवहन भवन, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय

1. संसद मार्ग

नई दिल्ली - 110001

विषय: प्रार्थी के 14/8/17 की RTI अर्जी पर प्रथम अपील।

मान्यवर

आपका पत्र फाइल सं. ए - 24030/02/2017 - टेल/38 गें. 30-8-17 जो श्री गौशंग देवधरे द्वारा हस्ताक्षरित, को पाकर दुरब हुआ। भारत सरकार के मंत्रालय की ऐसी कार्य प्रणाली?

प्रार्थी ने सात बिन्दुओं (एक विषय) पर सूचना चाही थी और उसे केवल बिन्दु क्रमांक 5 का उत्तर मिला। बिन्दु क्रमांक 6 की सूचना के लिए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्य सूचनाओं को भेजा गया है।

महोदय, क्या मंत्रालय को ये भी बताना होगा कि शेष पांच बिन्दुओं क्रमशः 1, 2, 3, 4 व 7 की सूचनाएँ पूर्णतः लिखित नीतियों के अनुसार हैं। नीतियाँ केवल मंत्रालय बनाता है। अतः आपके CPIO ने मुझे जानकारी देकर अधूरी सूचना दी है।

आपसे अपील की जाती है कि कृपया मेरी अर्जी के बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4 व 7 द्वारा चाही गई नीतिगत सूचनाएँ मुझे उपलब्ध करावे क्योंकि वे सीधे तौर पर आपके मंत्रालय में वर्तमान हैं। साथ ही अपने CPIO पर अधिनियम-2005 सूचना का अधिकार उलंघन करने के लिखे कार्रवाई करें।

संलग्न: दो एक

ता: 29/9/17

"भइ पत्र आपके मंत्रालय द्वारा वापस कर दिया गया था। अप्रत्याशित अनुभव।

हृदय से 29/9/17 का मानें।

29/9

भवदीय,

29/9/17

(भोगेश्वर नारायण शर्मा)

जी-3, संगम रेजिडेन्सी

9/10 इरानगर - 'ए', गंगाराम वीटाकी

वैशाखी नगर,

जयपुर - 302021


Mob. - 9928176147

RTI

894

Appeal  
Pl. put up  
with pr. ppmt

4/10  
20/9/17



श्रीमान सचिव  
[नाम: लोक सूचना अधिकारी]

परिवहन भवन  
1, संसद मार्ग  
नई दिल्ली - 110001

रजिस्टर्ड - पत्र  
1. US/M/ R. Vithan Invern  
2. ABB (M)/ R. G. Deyhant  
3. SES (PPP) 1/13 801811

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना पाना।

मान्यवर  
देश भर के टोल प्लाजाओं की मनमानी और गुण्डागर्दी बढ़ती जा रही है। अनेक हिंसक घटनाओं में प्रतिपक्ष मौतें भी हुई हुई हैं। इन अशोचित जानकारी लेनी इसलिसे आवश्यक हो गई है कि हाल ही एक टोल प्लाजा पर राज्यपाल के कारिने को रोक दिया गया। उससे पहले प्रदेश के सड़क मंत्री को टोल प्लाजा पर अपमानित होना पड़ा था। जनता को बस मीठा-मसौड़ा लगती जा रही है।

RTI

कृपया मेें सूचनाएं दें -

1. P.P.P. भानि पब्लिक, ग्राभवेट पार्टनरशिप की पूरी परिभाषा क्या है।
2. P.P.P. मॉडल में "पब्लिक" सैक्टर का अंशदान कितना होता है और उसे कितने प्रतिशत ब्याज पर कितने समय के लिये दिया जाता है।
3. P.P.P. मॉडल के टोल प्लाजाओं पर के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होनी चाहिए।
4. P.P.P. मॉडल की सड़कों के निर्माण में "ग्राभवेट" सैक्टर को जो लोन दिया जाता है उसपर बैंक ब्याज की वर्तमान दरें क्या हैं और इस ब्याज दर का निर्धारण किस नियम से होता है।
5. सिंगल लेन रोड पर टोल प्लाजा लगाने के नियम क्या हैं।
6. देश भर के टोल प्लाजाओं पर हिंसा के कारण कितने लोग आज तक मारे जा चुके हैं।
7. जिस कम्पनी को PPP मॉडल के तहत टोल टैक्स वसूली का अधिकार दिया जाता है वो जिन नियमों के तहत उसे "सबोर्ट" करी है उसकी प्रति उपरोक्त सूचनाएं पाने के लिये नियमानुसार रु. 10 का B.P.O. No. 32, F. 4655 संलग्न कर निवेदन है कृपया 30 दिनों में सूचना दें।

दिनांक: 14/8/17

भवदीय  
(योगेश्वर नारायण शर्मा)  
जी-3, संगम रेजिडेन्सी  
3/10 गंगाराम जी टावरी, धीराभगर - 'ए'  
वैशाली नगर, जयपुर - 302021